शैक्षणिक विकास एवं महिला सशक्तीकरणः अयोध्या मण्डल के सन्दर्भ में एक अध्ययन

प्राप्तिः 29.11.25
स्वीकृतः 15.12.25

79

डॉ. विनोद सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर (मानविकी विभाग)
श्री रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ
इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, लखनऊ, (उ.प्र.)
ईमेलः vs3188@gmail.com

सारांश

महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सकें जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिलायें भी पुरूषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सकती हैं। महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारम्परिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आन्दालनों और यू0एन0डी0पी0 आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतत्रंता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

मुख्य शब्द

महिला अधिकारिता, बुनियादी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, योजना कार्यान्वयन।

प्रस्तावना

सशक्तीकरण लोगों में और समुदायों में स्वायत्ता और आत्मनिर्णय के स्तर को बढ़ाने के लिए डिजाइन किये गये उपायों का एक सेट है, ताकि वे अपने स्वयं के अधिकारों का कार्य करने के लिए एक जिम्मेदार और स्वनिर्धारित तरीके से अपने हितों का प्रतिनिधित्व कर सकें। सशक्तीकरण अभियान के रूप में आत्म सशक्तीकरण की प्रक्रिया और लोगों के पेशेवर समर्थन दोनों को संदर्भित करता है, जो उन्हें शक्तिहीनता और प्रभाव की कमी की भावना को दूर करने और अपने संशासधनों को पहचानने और उपयोग करने में सक्षम बनाता है। महिला सशक्तीकरण बहुआयामी और बहुमुखी है। 1990 के दशक में महिला अधिकारिता यानि सशक्तीकरण पर जोर देने के साथ ही यह प्रयास

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.79

भी किया गया कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होकर नीति निर्माण के स्तर पर भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित होगी। भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रभावी तरीके से काम किया है। इनमें से 80 प्रतिशत महिलाएं कृषि और कृषि संबद्ध अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हैं। ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी अहम योगदान कर सकता है, जिससे 2020–25 तक भारत को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने हाल में ग्रामीण महिलाओं की बेहतरी के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे कि उज्ज्वला योजना, अंत्योदय योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ। इन योजनाओं का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भारत सरकार की अधिकतर योजनाओं और कार्यक्रमों के केंद्र में ग्रामीण महिलाएं ही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य रोज़गार से जुड़े अलग–अलग तरह के अवसर प्रदान कर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति बेहतर करना है। प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रभावी तरीके से काम किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि के ज़रिए ग्रामीण रोज़गार पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर हुआ है और भारत में महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हुआ है (पटेल एंड सेठी 2022)।

भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं, ताकि ग्रामीण महिलाओं की जीवनशैली बेहतर हो सके और उन्हें सुविधायुक्त माहौल मिल सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) और 'हर घर जल' योजना के तहत, सभी ग्रामीण घरों में रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) और पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की 8 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराना था। सुरक्षा और सामाजिक–आर्थिक समानता ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के लिए काफी अहम हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 'मिशन शक्ति'की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर महिला सशक्तीकरण का हब बनाने, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास (सखी निवास), आश्रयविहीन महिलाओं के लिए आवास उपलब्ध कराने की बात है। प्रधानमंत्री जन–धन योजना के ज़रिए वित्तीय समावेशन और बैंकिंग तक पहुंच सुनिश्चित हुई है जिससे संगठित क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी की संभावनाएं बढ़ी हैं।

जीवन के सामान्य आर्थिक रूप में पूंजीवाद के उदय के साथ एवं ज्ञानोदय काल के दौरान महिलाओं को सार्वजनिक विमर्ष से बाहर रखा गया था (लैंडेस 1996, स्मिथ 2005)।[1] सार्वजनिक क्षेत्र को पुरुषत्व के साथ संरचित किया गया था जिसने महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में विमर्ष से बाहर रखा (हैबरमास 1992)।[2] लेकिन इसने उन महिलाओं की गतिशीलता प्रदान की, जो जिम्मेदारी लेने में सक्षम हैं और अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे खुद को एक तर्कसंगत कर्ता के रूप में विकसित कर सकती हैं (डोनोवन 1992)।[3] उन्नीसवीं सदी के मध्य से पहले प्रतिबंधों का सामना करने

के बाद महिलाओं ने संगठन के नए रूपों की ओर तेजी से कदम बढ़ाया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं यूरोपीय देशों से दुनिया के बाकी हिस्सों तक फैलीं और विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों में फैलीं। समाज के सीमांत वर्गों (महिलाओं सहित) को गतिशीलता और जीवन के सामाजिक और शैक्षणिक विषयों में भाग लेने का अवसर मिला है।

''सामान्यता के न्यायाधीश हर जगह हैं।''हम शिक्षक–न्यायाधीश, डॉक्टर–न्यायाधीश, शिक्षक–न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ता–न्यायाधीश के समाज में हैं'' (फौकॉल्ट, 1975 एपेलराउथ और एडल्स 2008)।[4]

विकास प्रतिमान में महिलाएं यह मानती हैं कि महिलाओं को विकास प्रक्रिया में छोड़ दिया गया है और इसलिए लाभ देने के लिए उन्हें एकीकृत करने की आवश्यकता है। विकास प्रतिमान और लिंग महिलाओं की ट्रिपल भूमिका (प्रजनन, उत्पादन और सामुदायिक प्रबंधन) को पहचानता है लेकिन सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण महिलाओं को परिवार और समाज दोनों में कम अधिकार मिलते हैं, इसलिए विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता प्रभावित होती है । (पापानेक 1990,सेन 1990)।[6]

सेन (1957) ने सामूहिक प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया है जो व्यक्तियों के जीवन में बदलाव की ओर ले जाता है। संज्ञानात्मक अर्थ में सशक्तिकरण को अलगाव की भावनाओं को कम करने और एकजुटता और वैधता की भावनाओं को बढ़ाने के लिए व्यक्ति के आत्म–ज्ञान और आत्म–सम्मान के निर्माण के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए (अस्थाना 1996, तपन 2010)।[11] उन्होंने (कबीर 1999) सुनिता किशोर द्वारा पहचाने गए महिला सशक्तिकरण के संकेतकों को और संक्षेप में प्रस्तुत किया है किशोर (1997)

1. सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाणः नारी का अवमूल्यन, नारी का मुक्ति, भूमिकाओं और निर्णय का बंटवारा, विवाह में समानता, वित्तीय स्वायत्तता
2. सशक्तिकरण के स्रोतः आधुनिक क्षेत्र में भागीदारी, आजीवन रोजगार का अनुभव
3. संकेतक निर्धारित करनाः सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी पारिवारिक संरचना वैवाहिक लाभ और पारंपरिक विवाह

नारी को वैदिक आम्नाय के सिद्धान्तानुसार प्रथम स्थान दिया गया है। हमारे आदि ग्रन्थों में नारी के महत्व को मानते हुए यह बताया गया है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् ''जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं।'' परन्तु विडम्बना तो देखिये नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी आज उसके सशक्तीकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है। भारत में महिला सशक्तीकरण के लिए जेन्डर समानता का सिद्धान्त भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धान्तों में प्रतिपादित है।

साहित्य समीक्षा

वोलस्टोनक्राफ्ट (1792) – अपनी कृति में मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है, जिसमें महिला शिष्टाचार में क्रांति की जरूरत, संवेदनशीलता की समस्याएं, महिला समझादारी, उदारवाद, शिक्षा सुधार, मध्यमवर्ग की महिलाओं के जीवन की समृद्धि आदि विषय सम्मिलित हैं।[15]

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.79

बूवा (1949) – ने अपने लेख में महिलाओं के उत्पीड़न का एक विस्तृत विश्लेषण और समकालीन नारीवाद का एक मूलभूत उपन्यास है। अपने इस लेख में सिमोन डी बूवा ने यह लिखा है कि ''औरत जन्म से ही औरत नहीं होती, बल्कि बाद में वह औरत हो जाती है।'' सिमोन के अनुसार ''पुरूष महिलाओं को हर तरह से हर स्तर पर शोषित करते हैं वह स्वयं को उत्कृष्ठ और स्त्री को एक निम्न व्यक्ति या दाये म दर्जे की वस्तु, विकृत, नगण्य और अधूरा मानते हैं''।[16]

आप्टे (1996) ने अपने अध्ययन में ऋग्वेद से लेकर वर्तमान समाज तक में नारी की स्थिति की व्याख्या की है। इसमें बदलते सामाजिक परिदृष्य में महिलाओं की समस्याओं एवं शोषण के विरूद्ध महिला संगठनों की भूमिका को स्पष्ट किया गया है।[18]

Omvedt, Gail. "Women and Maharashtra Zilha Parishad Elections."(1987) राजनीतिक सत्ता से महिलाओं के बहिष्कार को अधिक चिह्नित किया गया है। महिलाएँ अल्पसंख्यक हैं, उपेक्षित हैं और अभी भी शक्तिहीन हैं।

Beteille, Andre: "Empowerment of Women." (1999) यह लेख सशक्तिकरण, शक्ति और अधिकार की अवधारणा का विचार करता है। सशक्तिकरण नागरिकता, राजनीतिक, सामाजिक अधिकारों से जुड़ा है। आय और संपत्ति, जाति और लिंग की असमानताएं सशक्तिकरण से जुड़ी हैं।

Kabeer, N. "Gender equality and women empowerment" (2005) (1) सभी महिलाओं के बच्चों को तकनीकी संस्थानों में 50–50 स्थानों पर अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए 4) राष्ट्रीय महिला आयोग का विस्तार किया जाए जिससे वे कल्याण, शिक्षा, भर्ती और पदोन्नति नीतिगत निर्णय लेने में प्रभावी हो 5) राज्य महिला आयोग की स्थापना ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तर पर सदस्यों सहित की जाये।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

1. अयोध्या मण्डल के जनपदवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में बालिका बिद्यार्थियों का अध्ययन करना।
2. महिला शिक्षकों की प्राथमिक, माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति को जानना।
3. ग्रामीण भारत में महिला सशक्तीकरण का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं

प्रस्तुत शोध को पूर्ण करने हेतु निम्न शोध परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है–

1. ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण का स्तर उच्च है।
2. महिला साक्षरता में हुई वृद्धि महिला सशक्तीकरण का प्रमुख कारण है।
3. अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित महिलाए महिला सशक्तीकरण के प्रति जागरूक हैं।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध कार्य में वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में समस्या के सम्बन्ध में पूर्ण, यर्थाथ एवं विस्तृत तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। प्रस्तुत अध्ययन

में तथ्यों के संकलन के लिये द्वितीयक प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जायेगा। द्वितीयक जानकारी रिपोर्ट, आलेखों, शोध पत्र एवं पत्रिकाओं, शोध ग्रन्थों, इन्टरनेट तथा विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत 20 मंडलों में एक मंडल (अयोध्या मंडल) का चुनाव समूह प्रतिदर्श जोकि सम्भवना प्रतिदर्श के अन्तर्गत आता है द्वारा चुना गया है। इसके पश्चात अयोध्या मण्डल के भीतर पॉच जनपद का अध्ययन विशेषता महिला शिक्षा के सन्दर्भ में किया गया है। यह जानने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा में सुधार महिलाओं को सशक्त बनाता है। अयोध्या मंडल, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्रशासनिक भौगोलिक इकाई है। अयोध्या इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। इसमें अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी जिले शामिल हैं।

सारणी 1 : मंडल में जनपद वार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या

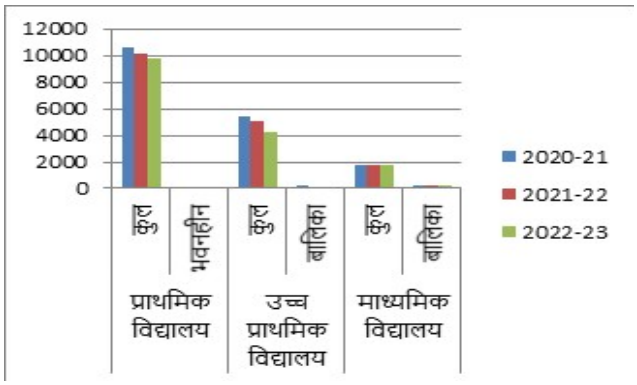

स्रोत

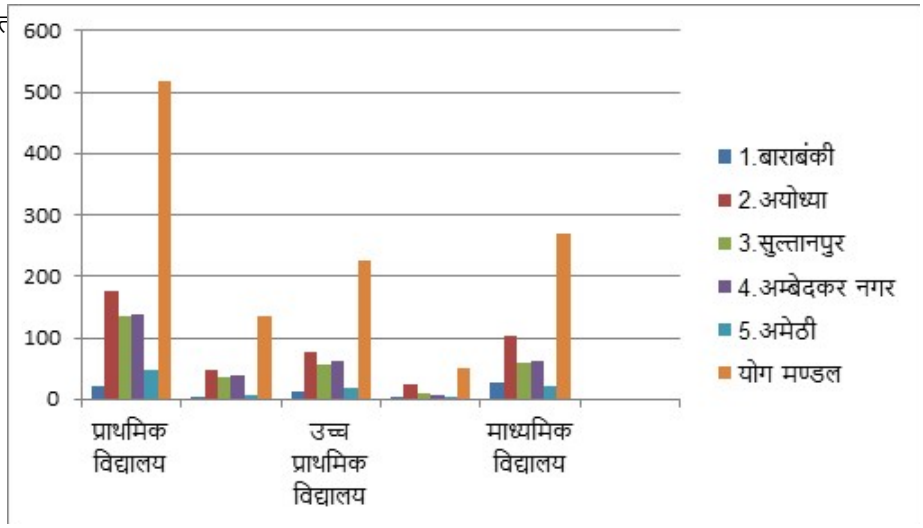

स्रोत– जिला सांख्यिकी पत्रिका

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.79

वर्ष 2020–21 में कुल संख्या 10566 और 2021–2022 में कुल संख्या 10158 की तुलना में वर्ष 2022–23 (9821) में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या घटी है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या 2020–21 में 226, 4.2%, 2021–22 में 150, 2.9% और 2022–23 में 74, 1.7% है। यह दर्शाता है कि 2022–23 में बालिका संख्या में कमी आयी है। माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो 2020–21 में 279, 16%, 2021–22 में 262, 15% , 2022–23 में 263, 14.4% है।

जनपदवार 2022–23 के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि :

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय में पॉच जनपदों में अधिकतम अयोध्या जनपद 38 (3.22%) है जबकि अम्बेदकर नगर में न्यूनतम 0 हैं। इसके अलावा अमेठी 13(1.7%), सुल्तानपुर 12(1.02%) है।
2. माध्यमिक विद्यालय में अयोध्या कुल 503, 95(19%) बालिका, अम्बेदकर नगर कुल 427, 76(18%), बाराबंकी कुल 324, 39 (12%), अमेठी कुल 217, 24(11%), सुल्तानपुर कुल 345, 29(8.4%), बालिका है। अधिकतम बालिका प्रतिशत अयोध्या में 19% और न्यूनतम सुल्तानपुर जनपद 8.4% में है।

सारणी 2 मंडल में जनपद वार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या

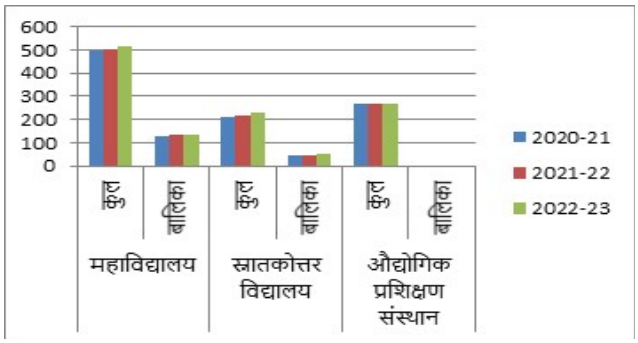

स्रोत– जिला सांख्यिकी पत्रिका

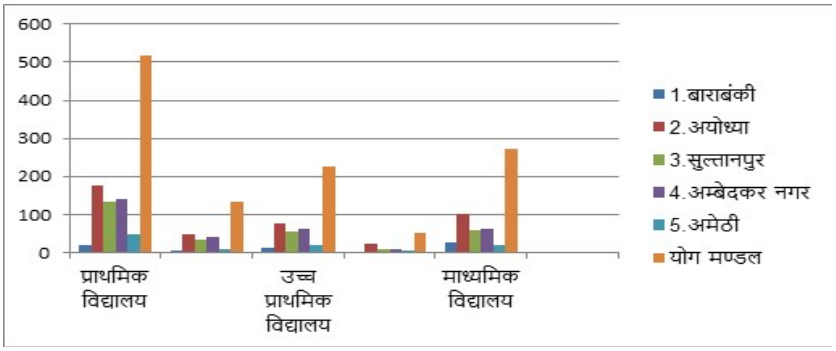

स्रोत– जिला सांख्यिकी पत्रिका

सारणी से पता चलता है कि बालिकाओं का महाविद्यालय एवं स्नातकोत्तर विद्यालय में नामांकन क्रमश: 2020–21 में 26.2%, 2021–22 में 26.38%, 2022–23 में 26.11% रहा जबकि स्नातकोत्तर में यह प्रतिशत 20.75%, 21.39%, 22.02% रहा जोकि संतोषजनक स्थिति को बताता है।

वर्ष 2022–23 में जनपद विवरण :

1. महाविद्यालय में बालिका नामांकन अधिकतम अयोध्या में रहा है, कुल 176, 48 (11%) और न्यूनतम बाराबंकी जनपद कुल 20, 4 (11%) है।
2. स्नातकोत्तर विद्यालय में देखें तो अयोध्या कुल 77, 25 (11%) और बाराबंकी सबसे कम कुल 14, 2 (12%) बालिका। अन्य जिलो में सुल्तानपुर कुल 65, 10 (8.4%), अम्बेदकर नगर कुल 62, 8 (18%) अमेठी कुल 19, 5 (11%) है।

सारणी 3 मण्डल में जनपदवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक (संख्या)

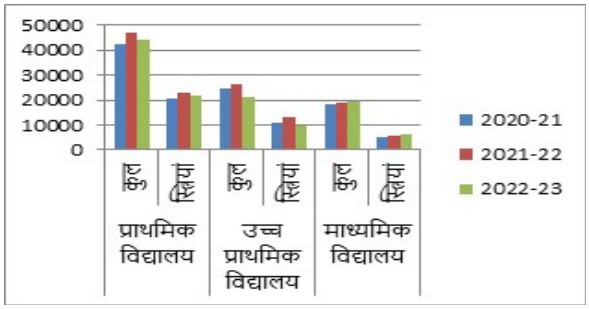

स्रोत– जिला सांख्यिकी पत्रिका

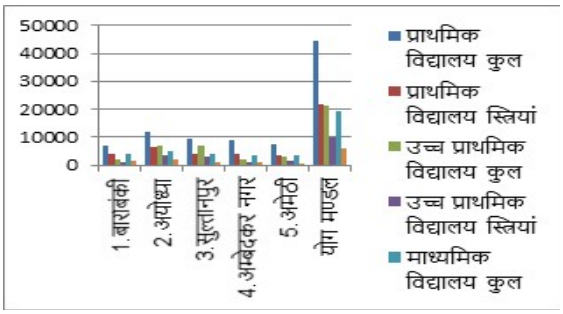

स्रोत– जिला सांख्यिकी पत्रिका

1. प्रथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों की संख्या संतोषजनक पायी गई जोकि 2020–21 में 48.63%, 2021–22 में 49%, 2022–23 में 49.33% है।
2. उच्च प्रथमिक विद्यालय में देखें तो लगता है कि वर्ष 2020–21 (42.91%) में महिला शिक्षकों की संख्या कम थी। बाद में इसमें बढ़ोतरी हुई जोकि 2021–21 में 50% और 2022–23 में 46.52% रही।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.79

3. माध्यमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों का प्रतिशत क्रमशः 2020–21 में 27.27%, 2021–22 में 30.68%, 2022–23 में 31.26% रहा है। यह भी पता चलता है कि प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा उच्च प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों की दर कम है। सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालय फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय और अन्त में माध्यमिक विद्यालय हैं।

जनपदवार 2022–23 विश्लेषण

1. प्राथमिक विद्यालय में बाराबंकी 55.27%, अयोध्या 54.88%, अमेठी 47.06%, सुल्तानपुर 45%, अम्बेदकर नगर 43.69% महिला शिक्षकों की संख्या है।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय में देखें तो सबसे अधिक महिला शिक्षक बाराबंकी 60.50% में, अयोध्या 48%, अमेठी 46.09%, अम्बेदकर नगर 43% और सुल्तानपुर 41.46% है।
3. माध्यमिक विद्यालय के अर्न्तगत सार्वधिक प्रतिशत बाराबंकी जनपद 37.28% और सबसे कम अमेठी जनपद 20.21% है।
4. औसत के रूप मे देखें तो पॉच जिलों का औसत 20496 आता है। प्राथमिक विद्यालय का औसत माध्यमिक विद्यालय से अधिक है।

सारणी 4 मण्डल में जनपदवार मान्यता प्राप्त षिक्षण संस्थाओं में षिक्षक (संख्या)

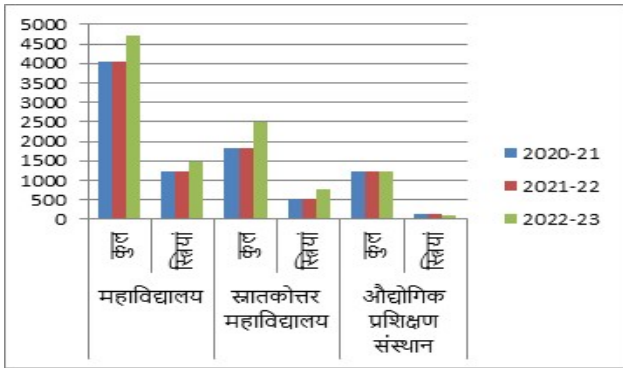

स्रोत– जिला सांख्यिकी पत्रिका

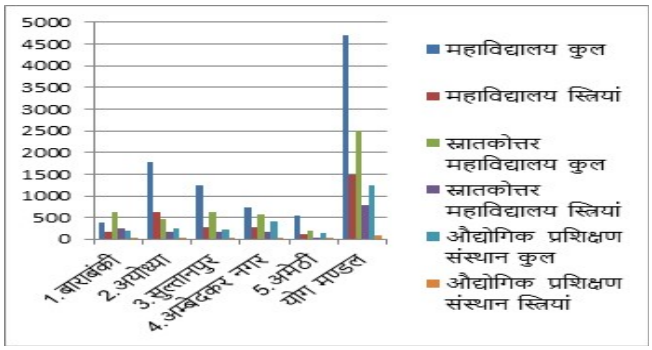

स्रोत– जिला सांख्यिकी पत्रिका

महाविद्यालय में महिला शिक्षकों की संख्याः

वर्ष 2021–21 में 30.57%, 2021–22 में 30.68%, 2022–23 में 31.21% है जोकि लगभग एक जैसा है।

स्नातकोत्तर विद्यालयः

वर्ष 2020–21–कुल 28%, 2021–22 28.22%, 2022–23 31.20% है।

औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्त्रियों की संख्या सबसे अधिक वर्ष 2021–22 में 12.09% रही जबकि सबसे कम वर्ष 2022–23 में 7.28% है।

जनपदवार आकलन 2022–23ः

महाविद्यालय

बाराबंकी जनपद की महिला शिक्षक प्रतिशत 39.79% था जबकि अमेठी में 21.93% था।

स्नातकोत्तर विद्यालय

बाराबंकी जनपद में सबसे अधिक 39.77%, सबसे कम 15.94% अमेठी जिले में है।

औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान

इसमें भी बाराबंकी जनपद में महिला संख्या 19.69%, जबकि न्यूनतम संख्या अम्बेदकर नगर में 1.66% है।

निष्कर्ष

अध्ययन से ज्ञात होता है कि अयोध्या मन्डल में भारतीय महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए और ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जो महिलाओं की आबादी के अधिकारों और बुनियादी जरूरतों को समायोजित करने में मदद करें। इस प्रकार शैक्षिक मोर्चे पर उपलब्धि के क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का परिदृश्य तुलनात्मक रूप से खराब प्रतीत होता है और इसकी जाँच करने की आवश्यकता है। क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण से लैंगिक भेदभाव के उन्मूलन और पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति संतुलन का निर्माण होगा और पूरे समाज को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से लाभान्वित करेगा। सशक्तिकरण का सबसे अच्छा तरीका महिलाओं को विकास की मुख्य धारा राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में शामिल करना है। किसी समाज को बदलना इतना आसान नहीं, पर यह भी सत्य है कि महिलाए स्वयं में बदलाव लाकर समाज को भी बदलने पर मजबूर किया जा सकता है।

संदर्भ

1. हेबरमास, जुर्गन 1992. बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्सः कंट्रीब्यूशन टू डिस्कोर्स थ्योरी ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, द एमआईटी प्रेस।
2. फौकॉल्ट, मिशेल 1975,1995. अनुशासन और सजाः जेल का जन्म, ट्रांस। एलन शेरिडन, न्यूयॉर्क, विंटेज बुक्स।
3. कबीर, नैला. 1999. ''संसाधन, एजेंसी, उपलब्धियाँः माप पर विचार।'' महिला सशक्तिकरण'', विकास और परिवर्तन, खंड। 30, 435–464.

4. वोल्स्टोनक्रफ्ट मैरी 'ए विंडीकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वूमेन, विथ स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एण्ड मोरल सब्जेक्ट्स', बोस्टन प्रिंटर्स, यूनाइटेड किंगडम, 1792
5. डी बूवा सिमोन, 'सेकेण्ड सेक्स', एल्फ्रेड ए. नोपक पब्लिकेशन, न्यूयॉर्क, 2009
6. देसाई नीरा, 'वीमेन इन मॉडर्न इण्डिया', बोहरा पब्लिशर्स, बम्बई, 1977
7. अल्टेकर ए–एस– 'हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति', मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016
8. आहुजा राम, 'सामाजिक समस्यायें', रावत पब्लीकेशन, जयपुर, 1997